



अखण्ड भारत सन्देश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज शुकवार, 9 अक्टूबर, 2020

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर यूपी की राज्यपाल व सीएम ने जताया शोक

लखनऊ, जेएनएन। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित समेत प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने कहा कि वह कमजोर व निर्धन वर्ग के हित व कल्याण के लिए सक्रिय रहते थे।



रामविलास पासवान एक अनुभवी राजनेता थे। भारत सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया।

वह कमजोर व निर्धन वर्ग के हित व कल्याण के लिए सक्रिय रहते थे। विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने रामविलास पासवान के निधन को राजनीति की अपूर्णीय क्षति बताते हुए दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन का दुःख समाचार प्राप्त हुआ। दलितों पिछड़ों की आवाज बुलंद रखने वाले बहुत ही लोकप्रिय नेता का निधन पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्तदेव सिंह व महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने मंत्री पासवान के

निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए परमात्मा से उन्हें अपने श्रीचरणों के स्थान देने की प्रार्थना की। उन्होंने पासवान को गरीबों व वंचितों का सच्चा हितचिंतक बताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि केन्द्रीय मंत्री व बिहार के प्रमुख नेताओं में से एक रामविलास पासवान के निधन की खबर अति दुःखद है। उन्होंने उनके परिवार और पार्टी के लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की।

स्वामी चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पीड़िता के बयान की कॉपी देने से किया इनकार

नई दिल्ली, एएनआइ। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी पूर्व भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को शाहजहांपुर के कानून के छात्र द्वारा दर्ज किए गए बयान की कॉपी देने के लिए कहा था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 नवंबर 2019 के आदेश के खिलाफ शाहजहांपुर कानून की छात्रा द्वारा की गई अपील पर ये फैसला सुनाया है। इससे पहले हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था कि चिन्मयानंद सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति पाने हकदार है। अगस्त 2019 को स्वामी शुक्देवानंद विधि महविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, इस वीडियो में नाम लिए बिना उसने अपने साथ यौन उत्पीड़न की बात कही थी। इतना ही नहीं उसने आगे कहा था कि उसे और उसके परिवार को बड़े संत से खतरा है। छात्रा ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी। वीडियो पोस्ट होने के साथ ही हंगामा मच गया था।

लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक

18 अक्टूबर से होनी थी परीक्षा



बिलासपुर, जेएनएन। हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर से आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी/पीएससी) की मुख्य परीक्षा पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा की तिथि तय करने पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से आपत्ति की गई थी। लिहाजा उनके हित को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

सीजीपीएससी-2019 की परीक्षा में करीब 80 प्रतियोगियों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग 16 याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद आयोग की ओर से मॉडल आंसर जारी किया गया। इसे देखने के बाद प्रतियोगी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए। इसी बीच लोक सेवा आयोग ने पुराने आंसर मॉडल को संशोधित कर फिर से नया आंसर मॉडल जारी कर दिया।

याचिका में कहा गया है कि नया आंसर मॉडल पुराने से अलग था। इससे जो उत्तर पहले सही थे वे गलत हो गए। कुछ प्रश्न और उत्तर को आयोग ने निरस्त भी कर दिया है। वहीं कुछ सवाल जो पहले गलत थे वे अब सही हो गए। इस तरह से आठ सवालों के जवाब संशोधित कर बदल दिए गए हैं। इससे नतीजों में उलटफेर होने के साथ कई परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होने से अवगत हो गए जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने सीजीपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गुरुवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सीजीपीएससी की तरफ से बहस शुरू होने के पहले ही याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए तिथि तय कर दी है और प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान याचिका लंबित रहते तक हाई कोर्ट की जानकारी के बिना परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करने को आग्रह किया गया था। सुनवाई के दौरान सीजीपीएससी के वकील ने बहस शुरू की जो पूरी नहीं हो पाई। सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। मालूम हो कि सीजीपीएससी ने 18 से 21 अक्टूबर तक परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी की थी।

देश में कोरोना से ठीक होने की दर 85 फीसद से ज्यादा

75 हजार मरीज प्रति दिन हो रहे स्वस्थ

नई दिल्ली, एजेंसियां। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 78,524 नए मामले सामने आने के बाद गुरुवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 68,35,655 हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 58,27,704 तक पहुंच गई है। कोरोना से ठीक होने की दर 85.25 फीसद हो गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 9,02,425 सक्रिय मामले हैं। कुल मामलों का यह 13.20 फीसद है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 971 लोगों को इस बीमारी से मीट हो गई। इनको मिलाकर अब तक मरने वालों की संख्या 1,05,526

हो गई है। कोरोना से मरने वालों की दर घटकर 1.54 हो गई है। उल्लेखनीय है कि भारत का कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सात अगस्त को 20 लाख के पार पहुंचा था। यह आंकड़ा 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख और 28 सितंबर को 60 लाख के पार पहुंच गया था। आइसीएमआर के अनुसार, सात अक्टूबर तक कुल 8,34,65,975 नमूनों की जांच की गई। अकेले बुधवार को 11,94,321 मामलों की जांच की गई।

आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिन 971 लोगों की मौत हुई, उनमें से सबसे अधिक 355 लोग महाराष्ट्र के थे। इनके अलावा



कर्नाटक के 113, तमिलनाडु के 67, बंगाल के 58, उत्तर प्रदेश के 47, दिल्ली के 35, आंध्र प्रदेश के 34, पंजाब के 33 और छत्तीसगढ़ के 30 लोग थे। कोरोना वायरस के कारण

सर्वाधिक 39,072 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद तमिलनाडु में 9,984, कर्नाटक में 9,574, उत्तर प्रदेश में 6,200, आंध्र प्रदेश में 6,086, दिल्ली में 5,616, बंगाल में 5,376 और

पंजाब में 3,712 और गुजरात में 3,531 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण से मरने वालों में से 70 फीसद से अधिक मरीज दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के 75,000 से अधिक मरीज प्रति दिन स्वस्थ हो रहे हैं। कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की तुलना में 6.3 गुना लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मई तक 50,000 लोग इस बीमारी से ठीक हुए थे। अक्टूबर तक यह संख्या 58 लाख हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रति 10 लाख आबादी पर 140 से अधिक कोविड-19 जांच

कर रहे हैं। 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। मंत्रालय ने कहा कि जनवरी से लेकर अब तक जांच की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा, प्रमाणों से साबित हुआ है कि लगातार बढ़ी संख्या में जांच किए जाने से संक्रमण के मामलों में कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के मामलों में तेजी से आई गिरावट से पता चलता है कि संक्रमण फैलने की दर को काबू करने में सफलता मिली है। मंत्रालय के अनुसार देश की जांच करने की क्षमता कई गुना बढ़ी है और प्रतिदिन 15 लाख नमूनों की जांच की जा सकती है। भारत ने 140 जांच प्रतिदिन प्रति 10 लाख की आबादी पर करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव का पालन करने में उल्लेखनीय काम किया है।

आइएस मांड्यूल का एनआइए ने किया भंडाफोड़ बेंगलुरु से दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसियां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के बेंगलुरु स्थित मांड्यूल मामले के दो आरोपितों अहमद अब्दुल कादर और इरफान नासिर को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले का रहने वाला अहमद अब्दुल कादर चेन्नई में एक बैंक में कारोबार विशेषक है और कर्नाटक के फ्राजर कस्बे का निवासी इरफान नासिर बेंगलुरु में चावल व्यापारी है।

एनआइए ने कहा है, 'दोनों आरोपितों को बेंगलुरु में एनआइए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पृष्ठताछ के लिए दोनों को 10 दिनों के लिए एनआइए की हिरासत में सौंपा है।' 19 सितंबर को



एनआइए ने यह मामला अपने हाथों में लिया। जांच के दौरान बेंगलुरु आधारित आइएस मांड्यूल के बारे में कुछ आपत्तिजनक तथ्य सामने आए। बेंगलुरु में डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद मामलों में सुराग मिला। जांच के दौरान 2013-14 में आइएस में शामिल होने के लिए सीरिया की यात्रा करने वालों के नाम

सामने आए। आगे की जांच में यह जानकारी सामने आई कि कादर, नासिर और उसके सहयोगी हिज्ब-उत-तहरीर के सदस्य हैं। उन्होंने कुरान सकिंल नाम का एक गुप बनाया था जो बेंगलुरु के मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बनाकर आइएस की सहायता करने के लिए सीरिया के संघर्ष वाले क्षेत्र में भेजता

था। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा की भारत में बढ़ रही सक्रियता पर लगाम लगाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के लगातार आइएसआइएस मांड्यूल का भंडाफोड़ कर रही है। एनआइए देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। हाल ही में अभी बंगाल और केरल से नौ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से छह बंगाल के मुशीर्दावाद से और तीन केरल के एनाकुलुम से पकड़े गए थे। एनआइए के अधिकारियों ने बताया कि इन आतंकवादियों ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली सहित देश के प्रमुख मेट्रो शहरों में आतंकी हमले की साजिश रची थी।

तब्लीगी जमात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हुआ सर्वाधिक दुरुपयोग

नई दिल्ली, पीटीआइ। साल की शुरुआत में तब्लीगी जमात पर मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर हुए हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है। अदालत ने सरकार के हलफनामे को 'जवाब देने से बचने वाला' और 'निलंज' करार दिया है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हाल के दिनों में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एस बोपना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने यह टिप्पणी की।

याचिकाकर्ताओं ने कुछ मीडिया के एक वार पर देश में कोविड-19 महामारी फैलने के शुरुआती दिनों में तब्लीगी

जमात के धार्मिक आयोजन को लेकर सांप्रदायिक घृणा फैलाने का आरोप लगाया है। जमात की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत देवे ने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को कुचलना चाहते हैं। इस पर पीठ ने कहा, 'वे अपने हलफनामे में कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं जैसे आप अपने हिसाब से कोई भी दलील पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।' साथ ही अदालत ने कहा कि इस अधिकार का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। पीठ ने इस बात पर नाराज भी जताई कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के बजाय अतिरिक्त सचिव ने यह हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें तब्लीगी जमात के मुद्दे पर 'अनावश्यक' और 'बेतुकी' बातें कही

गई हैं। पीठ ने सख्त लहजे में कहा, 'आप इस न्यायालय के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, जैसा इस मामले में आप कर रहे हैं।' शीर्ष अदालत ने सूचना एवं प्रसारण सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें इस तरह के मामलों में मीडिया की एकपक्षीय रिपोर्टिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो। इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अतिरिक्त सचिव ने हलफनामा दाखिल किया है लेकिन इसमें आरोपों पर टिप्पणी नहीं की गई है। इसमें मूर्खतापूर्ण तर्क दिया गया है। यह जवाब देने से बचने जैसा हलफनामा है। केंद्र ने अगस्त में शीर्ष अदालत से कहा था कि तब्लीगी जमात के मसले पर मुस्लिम

संस्था द्वारा मीडिया की रिपोर्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश प्राप्त करने का यह प्रयास जानकारी प्राप्त करने के नागरिकों के अधिकार और समाज को जानकारी से अवगत करने के पत्रकारों के अधिकार को एक तरह से खत्म कर देगा।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत में दायर इस याचिका में तब्लीगी जमात के धार्मिक आयोजन के बारे में 'झूठी खबरों' का प्रसारण रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। निजामुद्दीन में मार्च में तब्लीगी जमात के धार्मिक आयोजन को लेकर आरोप लगाया गया था कि उसने कोविड-19 का संक्रमण देश के विभिन्न हिस्सों तक फैलाया।

अवर सचिव व उसके ऊपर के अफसरों को आना होगा दफ्तर, कार्मिक मंत्रालय के दिशा-निर्देश

नई दिल्ली, प्रेटी। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने बुधवार को जारी दिशा निर्देश में केंद्र के सभी विभागों में अवर सचिव व उसके ऊपर के अफसरों को सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय आना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने धीरे-धीरे अपना कामकाज बहाल किया और इस दौरान अंतिम आदेश तक उपसचिव और उससे वरिष्ठ रैंक के अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर दफ्तर आने का निर्देश था।

कार्मिक मंत्रालय के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अवर सचिव रैंक से नीचे के कम से कम 50 फीसद कर्मचारियों की दफ्तर में उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।



उसके मुताबिक, जनहित में आवश्यक होने पर विभागाध्यक्ष

50 फीसद से ज्यादा उपस्थिति भी अनिवार्य कर सकते हैं लेकिन हर

हालात में दो गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा।

कार्मिक मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने सभी विभागों को तीस साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुके सभी कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड की समीक्षा करने को कहा है। इसके बाद इनमें से अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारियों की पहचान कर-के उन्हें स्थाई रूप से रिटायर करने को कहा गया है। केंद्र सरकार यह फैसला जनहित में लेना चाहती है। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) रूल्स, 1972 के मूलभूत नियम

(एफआर) 56 (जे) व 56 (आइ) और 48 (आइ) (बी) के तहत की जाएगी। इससे प्रशासन को एक सरकारी नौकर को पूरी तरह से रिटायर करने का अधिकार मिलता है। शुकवार को जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी सरकारी अफसर की आयु 50/55 वर्ष होने या उनके सेवाकाल के कम से कम तीस साल पूरे होने के बाद उन्हे किसी भी समय सेवानिवृत्त किया जा सकता है। यह कदम उनके कामकाज और आचरण के आधार पर जनहित में उठाया जाएगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी को अक्षमता के आधार पर सामान्य रूप से रिटायरमेंट नहीं दिया जाएगा।

तिरुवंतपुरम, पीटीआइ। देश में

पहली बार, केरल सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए एक कल्याण कोष बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को बोर्ड को केरल कार्षका क्षेमनिधि बोर्ड के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने यह भी तय किया कि डॉ पी राजेंद्रन को केरल किसान कल्याण निधि बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आधिकारिक विज्ञापित में कहा गया है, देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए इस तरह का बोर्ड बनाया गया है। केरल कार्षका क्षेमनिधि अधिनियम के अनुसार, कृषि में बागवानी, औषधीय पौधों की खेती, नर्सरी प्रबंधन, मछली, सजावटी मछली, मसल्ल, मधुमक्खी, रेशम के कीड़े, मुर्गी, बचक, बकरी, खरगोश, पशुधन, और ऐसे कृषि के लिए भूमि का रखरखाव और उपयोग शामिल है। किसानों को बोर्ड का सदस्य बनने के



लिए, उन्हें पंजीकरण शुल्क के रूप में 100 रुपये और मासिक शुल्क 100 रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है। रिकिसान छह महीने या एक साल के लिए एक साथ मासिक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। सरकार एक समकक्ष हिस्सेदारी प्रदान करेगी। बोर्ड के सदस्य व्यक्तिगत पेंशन, परिवार पेंशन, बीमारी लाभ, विकलांगता लाभ, चिकित्सा सहायता, विवाह और मातृत्व भत्ता, शिक्षा सहायता और मरणोपरान्त लाभ के हकदार हैं। इसका लाभ महिला सदस्यों और कल्याण कोष की सदस्यों की बेटियों की शादी के लिए दिया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, एक किसान एक मालिक, लाइसेंसधार, एकमात्र मालिक, मौखिक किरायेदार, सरकारी भूमि का पट्टाधारक होता है जो पांच लाख रुपये से कम की वार्षिक आय के साथ 5 सेंट से कम और 15 एकड़ से अधिक का मालिक नहीं होता है।

संक्षेप समाचार

सात अन्तर्जनपदीय टप्पेबाज गिरफ्तार, पच्चीस नगदी एवं तीन मोटर साइकिल बरामद

प्रयागराज। क्राइम ब्रांच की सर्चिंग एवं सराय इनायत की संयुक्त पुलिस टीम ने गुरुवार को अन्तर्जनपदीय टप्पेबाज गैंग के सात सदस्यों को हबुसा मोड़ के समीप से गिरफ्तार किया। गैंग के कब्जे से पच्चीस हजार रूपया नगद, तीन मास्टर चामी के गुच्छे और फर्जी नम्बर प्लेट की तीन मोटर साइकिल बरामद किया है। पकड़े गिरोह के सदस्यों में गोण्डा जनपद के धानपुर थाना क्षेत्र के दुल्हापुर गांव निवासी संतोष कुमार बरुआ, रमधरवा गांव निवासी बाबूलाल बरुआ, दुल्हापुर गांव निवासी राजेश कुमार बरुआ, दुधिया गांव निवासी अन्नू बरुआ, दुल्हापुर गांव निवासी अनूप कुमार बरुआ, इसी गांव का अजय कुमार, गौंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के तुमरिया डीह गांव निवासी आनन्द कुमार बरुआ है। उक्त गिरफ्तारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच एवं सराय इनात की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार दोपहर हबुसा मोड़ के समीप से किया। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।

बरगद के पेड़ में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

काशीपुर बाजार के समीप की है घटना, पहले से था मृतक मानसिक विकसित

होलागढ़। गुरुवार की सुबह एक व्यक्ति काशीपुर गांव के समीप बरगद के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव पेड़ से लटकता देख ग्रामीणों का भीड़ एकत्र हो गई। घटना के बाद परिजन रोते-विलखते हुए मौके पर पहुंचे। उधर सूचना पाकर होलागढ़ की पुलिस मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ओढ़रा थाना होलागढ़ मूल निवासी रामू पटेल (35) पुत्र भूरे लाल अपने ननिहाल अईवीपुर होलागढ़ में रहता था। बताया जाता है कि वह काफी दिनों से मानसिक परेशानी से परेशान चल रहा था। गुरुवार की सुबह वह काशीपुर गांव के समीप स्थित बीर बाबा के बरगद में लंगोटे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उधर से गुजर रहे ग्रामीणों ने शव को पेड़ से लटकता देखा, तो लोगों का मजमा लग गया। घटना की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो परिजन रोते-विलखते हुए मौके पर पहुंचे; जहां परिजन में कौरहाम मचा रहा। घटना की सूचना पाकर होलागढ़ इंस्पेक्टर तारकेश्वर राय मयफोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटना मामले की जांच करते हुए शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए एसआरएन अस्पताल के लिए भेज दिया। जबकि लोगों ने मृतक मानसिक विकसित बताया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।



घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

भारी पुलिस बल के बीच दुबारा हुआ कंजासा गांव के राशन के कोंटे का चुनाव

घूरपुर। इलाके के अति सर्वेदनशील गांव कंजासा में भारी पुलिस बल के बीच गुरुवार के दिन सरकारी राशन के कोंटे का चुनाव दुबारा संपन्न हुआ। भीड़ को संयमित रखने के लिए पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ी। चुनाव में सीमा निपाद ने अपनी प्रतिद्वंद्वी को 32 मतों से पराजित कर विजयी हुई।

जसरा विकास खंड के कंजासा गांव की सरकारी राशन के कोंटे की दुकान की एक सप्ताह पूर्व चुनाव हुआ था। जिसमें सीमा निपाद 52 मतों से विजयी हुई थी। लेकिन ग्रामीणों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए वीडियो, एसडीएम, जिलाधिकारी से दुबारा चुनाव कराए जाने की मांग की थी। अधिकारियों के आदेश पर वीडियो देवेंद्र कुमार ओझा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ जय मां काली समुह व शनि देव समुह के बीच चुनाव हुआ। जिसमें जय मां



कोंटेदार के चुनाव के दौरान भीड़ को नियंत्रित करती पुलिस

काली समुह को 405 व शनि देव समुह को 373 मत मिले जिसमें

दुबारा हुए चुनाव में 32 मतों से जय मां काली ने जीत दर्ज की। जय मां

काली समुह ने सीमा निपाद को कोंटे की दुकानदार नियुक्त किया।

करछना में माहभर के अन्दर दर्जनों बाइक चोरी

करछना। पुलिस की निष्क्रियता के चलते करछना मुख्यालय से दो माह के भीतर दो दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलो पर चोरी ने हाथ साफ किया अनवरत यह सिलसिला जारी है जो रूकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता साफ यह झलक रही है कि एक भी चोर पकड़ में नहीं आ सके जिससे चोरों के हौंसले बुलंद हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते चले आ रहे हैं। करछना गांव के सुमन श्रीवास्तव की बाइक घर के बाहर से चोर पार कर दिए जबकि दो दिन पूर्व करछना गांव के ही रिकू सिंह की बाइक थाने के ठीक पीछे जबरगज बाजार से गायब हो गई थी। जिसको लेकर गुरुवार को करछना बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह कुछ अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ थाने जाकर नवागत प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह से चोरी हुई गाड़ियों से सिलसिले में बातचीत करने पहुंचे जहां प्रभारी ने बात करने से इनकार कर दिया जिसको लेकर अधिवक्ताओं से गहमा गहमा के साथ

नोकझोंक भी हुई चोरियों पर अक्रुश लगाने के बजाय गाड़ियों से वसूली बालू खनन, स्मैक, गाजा आदि में खुलेआम लिये रहती है जिस कारण क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही जिससे लोगों में पुलिस के इस रवैये से विस्वास उठता जा रहा है वहीं चोरों के हौंसले बुलंद हैं। अधिवक्ताओं का दबाव पड़ने पर कुछ पुराने बाइक चोरों को पुलिस थाने लाकर पूछताछ में लेनदेन करके छोड़ देती है जबकि कई ऐसे पुराने चोर हैं जो चोरी का काम ही छोड़ चुके हैं पुलिस उन्ही लोगों को उठाकर पूछताछ कर छोड़ देती है विगत माह थाने के ठीक सामने से तहसील मुख्यालय से दो राजस्वकर्मियों सहित कई अधिवक्ताओं की बाइके चोर पार चुके हैं कुछ मामलो में पुलिस मुकदमा भी दर्ज करने में आनाकानी करती है। अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी के इस रवैये से आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही चोरियों का खुलासा नहीं होता है तो वे धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

तीन दिन बाद जमींदोज हुआ पूर्व ब्लाक प्रमुख का लाज

नैनी। औद्योगिक क्षेत्र स्थित डेयरी तिहाड़े के समीप, मसिका मोड़ के निकट पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा के लाज को गुरुवार को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। पिछले रविवार और सोमवार को हुई कार्रवाई के दौरान आधे से भी कम हिस्सा तोड़ा जा सका था। गुरुवार सुबह 11:00 बजे से शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक चली। जिसमें पूरा लाज जमींदोज कर दिया गया। पीडीए के अतिरिक्त जौनल अधिकारी आलोक पांडेय, सीओ करछना सोमेश्वर मीणा, पीएसओ और पुलिस की भारी फोर्स मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई स्थल से 100 मीटर बाएं व दाएं मिजापुर मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया है। दोनों ओर पुलिस द्वारा

बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस और प्राधिकरण ने माफिया दिलीप मिश्रा की संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की है। औद्योगिक क्षेत्र में तीन मंजिला लाज (मकान) को जेसीबी से ढहाने की कार्रवाई रविवार को शुरू हुई। इसे करीब 15 साल पहले बनवाया गया था, लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) से नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई संपत्ति की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। जौनल अधिकारी ने बताया कि बिना नक्शा पास कराए बनवाए गए लाज के ध्वंसीकरण की कार्रवाई आज पूरी हो गई। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी।

बाबा गाडगे का जीवन था जनसेवा में समर्पित : एम. के. चौधरी

फूलपुर। संत गाडगे बाबा के जीवन का एकमात्र ध्येय जनसेवा था। दीन-दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा को ही वे ईश्वर भक्ति मानते थे। इसलिए उन्होंने धार्मिक आडंबरों प्रखर विरोध किया। उक्त बातें अखिल भारतीय गाडगे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर एम के चौधरी ने बुधवार को अंबावा में प्रांतीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बतौर मुख अतिथि कही। संत गाडगे के संघर्षों पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं, बाबा आडंबर, तथा सामाजिक कुरीतियों एवं दुर्व्यसनों से समाज को बचाने के लिए बाबा हमेशा प्रयासरत रहे। साथ ही उनका जीवन सदैव ज्वरतमदों के लिए समर्पित रहा। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश चौधरी ने कहा कि शिक्षा के आभाव में व्यक्ति की कितनी भव्यकर हानि हो सकती है इसका बाबा गाडगे को भलीभांति अनुभव था। अक्षयता करते हुए राष्ट्रीय संरक्षक राजेश वर्मा ने कहा की समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु महासभा का



संत गाडगे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए महासभा के कार्यकर्ता

हर कार्यकर्ता तत्पर है। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर व संत गाडगे के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी विचारधारा अपनाते का संकल्प लिया। कार्यक्रम का

कुशल संचालन प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू चौधरी व युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेन्द्र कुमार जयक ने संयुक्त रूप से किया। प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी राजीव चौधरी ने समीक्षा बैठक में आए हुए मुख अतिथि

सहित अन्य पदाधिकारियों को पुष्प गुच्छ व अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर महामंत्री मोनु कर्नाजिया, दिनेश चौधरी, अरविंद चौधरी, विजय पाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

उपजिलाधिकारी बारा ने की अपील न जलाएं कृषि अवशेष

शंकरगढ़। खेत में पराली जलाना न सिर्फ पार्यावरण के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि यह भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए भी काफी नुकसानदेह है। इसके अलावा पराली जलाने पर अर्थदंड के साथ ही एफआईआर का भी प्रावधान किया गया है। यह जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी बारा डॉक्टर गौरव रंजन श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय किसानों से खेत में कृषि अवशेष न जलाने की अपील की

है। बारा तहसील परिसर के सभागार में आयोजित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक में उपजिलाधिकारी बारा ने कहा कि वह अपने-अपने क्षेत्र के किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित करें। एसडीएम ने कहा कि पराली जलाना किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं है। किसान भाई कृषि विभाग की मदद लेकर खेत के कृषि अवशेष को बेहतरान खद के रूप में

परिवर्तित कर सकते हैं। इस बैठक में तहसीलदार बारा डॉक्टर विशाल शर्मा, खंड विकास अधिकारी शंकरगढ़ देवेन्द्र कुमार ओझा, एडीओ पंचायत ओमप्रकाश पांडेय, कानूनगो प्राची केसरवानी, लेखपाल गंगा प्रसाद के साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी दीपेश सिंह, प्रेमचंद, रामसेवक, हरिभान, रोजगार सेवक सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।

आवारा पशु से टकराकर बाइक सवार हुआ घायल, हालत चिंताजनक

नवाबगंज। लखनऊ-प्रयागराज हाइवे मार्ग के नवाबगंज इलाके के बिछिया गांव के सामने बाइक सवार आवारा पशु से टकरा गया। जिसमें बाइक सवार संजय सिंह पुत्र राजन सिंह निवासी सिविल लाइन्स प्रयागराज घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ईएमटी मोईन खान एवं पायलट मुकेश कुमार घायल को उपचार के लिए कोइहार सीएचसी ले गए। जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद सदर के अस्पताल के लिए भेज दिया। वहीं घायल की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।



हाईकोर्ट समाचार

मुन्ना बजरंगी हत्या केस को सीबीआई अदालत में तबादले का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिला जेल में माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे मुन्ना बजरंगी की हत्या के आरोपी सुनील राठी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में तबादले का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिला जज बागपत से कहा है कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत को भेजी जाय। कोर्ट ने यह आदेश मामले की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार ने दिया है। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि खेकरा थाने से कोर्ट में जमा सभी मूल दस्तावेजों के साथ केस का स्थानांतरण सीबीआई की अदालत को किया जाय ताकि मामले में साजिश सहित हत्या की जांच कर दीपियों को सजा दिलायी जाय। मालूम हो कि इससे पहले प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने पति के हत्या की सीबीआई से जांच कराने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने जांच सी बी आई को सौंपते हुए दूसरे जेल से 12 घंटे के भीतर मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल भेजने और उसकी जेल में हत्या के षडयंत्र की विस्तृत जांच का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि षडयंत्र के पीछे के लोगों का पता लगाया जाय और पता किया जाय कि क्या वास्तव में सुनील राठी ने ही हत्या की है। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेकर केस को सीबीआई अदालत में तबादला करने की मांग की थी। जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

अतीक की बिलिंडग के दुकानदार की याचिका खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल लाइन्स में पैलेस टाकीज के बाल स्थित पूर्व सांसद अतीक अहमद की बिलिंडग की कुर्की के खिलाफ वहां की एक दुकानदार शहनाज बेगम की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने शहनाज बेगम के वकील और अपर महाधिवक्ता मनीष गौयल व अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया था कि इस बिलिंडग को वर्ष 2007 में भी कुर्क किया गया था और अब 10 अगस्त 2020 के आदेश से 26 अगस्त 2020 को फिर कुर्क कर लिया गया। दुकानदार का यह भी कहना था कि अभिलेख में उसका नाम भी दर्ज है। साथ ही पूरी बिलिंडग गिरा दी जाएगी। अपर महाधिवक्ता मनीष गौयल ने याचिका का प्रतिवाद करते हुए कहा कि याची ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि 2007 वाले आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ। वह अब भी दुकान पर काम रही है। साथ ही यह याचिका पोषणीय नहीं है, क्योंकि नियमानुसार याची को धारा 14 के तहत कुर्क करने के आदेश को धारा 15 के तहत जिलाधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करना चाहिए।

विभाग की गलती से अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभाग द्वारा गलत वेतन निर्धारण कर बाद में अधिक भुगतान की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार एवं कमांडेंट 26 बटालियन पीएसबी गोरखपुर से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सेवानिवृत्ति परिलाभों व पेंशन भुगतान प्रक्रिया के स्थिति की जानकारी मांगी है और पूछा है कि क्या अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश देने से पहले याची को सुनवाई का मौका दिया गया था ? क्या याची ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि वह अधिक लिए वेतन की वापसी कर देगा। क्या 30 सितम्बर 2020 के सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी आदि का भुगतान किया गया है ? कोर्ट ने सभी सवालों के जवाब के साथ चार नवम्बर तक हलफनामा मांगा है। और कहा है कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट सम्बंधित अधिकारी को सम्मन करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने शशांक शेखर तिवारी की याचिका पर दिया है। याचिका में पीएसबी कमांडेंट के 13 अगस्त 20 के अधिक भुगतान की वसूली आदेश को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे कोई भुगतान नहीं किया गया है। और अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया गया है। अधिक वेतन निर्धारण में याची की कोई भूमिका नहीं है। विभाग के स्वयं की गलती का याची को दंड दिया जा रहा है।

नोएडा किसानों को करोड़ों के गलत मुआवजे के भुगतान का रिकार्ड पेश करने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा, दादरी तहसील के गांव गेजा, नमाला चयन दास,गाजिपुर सहित दर्जनों गांवों के किसानों को कोर्ट के फैसले के खिलाफ किए गये करोड़ों का मुआवजा भुगतान का रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी सलाह पर किसानों को कोर्ट फैसले के खिलाफ करोड़ों का मुआवजा भुगतान किया गया है। फ्राड करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर सहित कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी। याचिका की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने किसान ओमदेव सिंह व तीन अन्य की याचिका सहित दर्जनों याचिकाओं पर दिया है। मालूम हो कि कोर्ट के फैसले से निर्धारित मुआवजे से अधिक भुगतान की वसूली कार्रवाई के खिलाफ किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। किसानों से 25 से 40 करोड़ की नोएडा द्वारा वसूली की जा रही है। याची किसानों की अधिकारियों की मिलीभगत से अधिक मुआवजे का भुगतान लिया गया है। जिससे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और फ्राड करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिकार्ड तैयार किया है। डेढ़ सौ से अधिक किसानों को वसूली नोटिस दी गयी है। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि करोड़ों की धांधली के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने का निर्णय ले लिया गया है और एवशन लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करायी गयी है।

पिता की कैद से बेटी को छुड़ाकर नारी निकेतन में रखने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनर किलिंग की आशंका को देखते हुए एएसएसपी प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह तत्काल झूरी के हवेलिया गांव में पिता रोशन लाल की अभिरक्षा से शीघ्र वर्षीय बेटी श्रीमती रोशनी को छुड़ाकर खुदवाहक नारी निकेतन में सुरक्षा के साथ रखे और 12 अक्टूबर को कोविड नियमों का पालन करते हुए दो बजे कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने पिता की एफआईआर पर विवेचनाधिकारी द्वारा याची रोशनी को उसके पिता को सौंपने पर तलब किया है और पूछा है कि किस कानून के तहत याची को उसके पिता को सौंप दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने श्रीमती रोशनी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि 5 जून 20 को आर्यसमाज कृष्णा नगर प्रयाग में दोनो ने शादी कर ली है। पिता रोशनलाल ने अपनी बेटी रोशनी के अपहरण की एफ आई आर 10 जून को झूसी थाने में दर्ज करायी है। पुलिस ने याची की पत्नी रोशनी को पकड़ कर उसके पिता को सौंप दिया। याची पति ने अपनी पत्नी को जबरन नजरबंद करने का आरोप लगाते हुए बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। कोर्ट ने एएसएसपी को रोशनी को कोर्ट में हाजिर करने का निर्देश दिया है।

जेल लोके अदालत में सात लम्बित मुकदमों का किया गया निस्तारण

नैनी। केंद्रीय कारागार नैनी में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोक अदालत के तहत आधा दर्जन से अधिक लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रमणि ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें रेलवे मजिस्ट्रेट उरसवर गौरव राज द्वारा सात लम्बित मुकदमों का निस्तारण किया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्रमणि के अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जेल में बंद बंदियों को विधिक जानकारी से अवगत कराया गया और जेल में स्याह-सपाई, भास्क, सेनेटइजर का उपयोग कराये जाने हेतु न्यायिक अधिकारीगण प्रद्युष आनन्द मिश्रा, मनाली चन्द्रा, अमित सिंह द्वारा दिशा-निर्देश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डिप्टी जेलर अभय शुक्ला केंद्रीय कारागार नैनी की ओर से जेल बन्दिनों को उपस्थित कराया गया।

प्रयागराज हलचल

प्रयागराज शुकवार, 9 अक्टूबर, 2020

संक्षेप समाचार

विकास कार्यों के लिये महिला प्रधान रुचि होगी सम्मानित

प्रयागराज। हरिश्चाम मानव कल्याण शिक्षा एवं शोध संस्थान अम्बेडकर विहार प्रयागराज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिये मेजा के उरुवा की पंचायत जेनियका की महिला ग्राम प्रधान श्रीमती रुचि अभिषेक तिवारी को एनसीजेडसीसी में 12 अक्टूबर को हृदय्य कुंभ भव्य कुंभह पर आयोजित तीन दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी में सम्मानित किया जायेगा। समिति के सचिव तिवारी ने पांच वर्ष के कार्यकाल में गाँव में 305 शौचालय, 22 मुख्यमंत्री आवास मुसहर, 24 प्रधानमंत्री आवास, दो आँगनवाड़ी केंद्र का निर्माण, एक पंचायत भवन, एक सामुदायिक शौचालय महिला, दो प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प, ढाई किमी खडजा मार्ग, दो किमी लामग इंटरलॉकिका सड़क निर्माण, ढाई किमी नाली का निर्माण, तीन किमी चक्रोड पर मिट्टी का कार्य, 73 लोगों को वृद्धा भ्रमण, दिव्या पैनल, विकलांग, ठंडी में 500 लोगों को रजार्ड-कम्बल वितरण कराया जाता है।

एसएसपी ने बदले तेईस उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र

प्रयागराज। जनपद की कानून व्यवस्था को चुस्तदुरुत करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने गुरुवार को 23 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया। जिसमें सात उपनिरीक्षक पुलिस लाइन्स से सम्बद्ध थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस लाइन्स से सम्बद्ध रहे उपनिरीक्षक फिरोज आलम को टीपी नगर चौकी प्रभारी का कार्यभार सौंपा। इसी क्रम में पुलिस लाइन में रहे अरविन्द कुमार सिंह को संगम चौकी प्रभारी, पुलिस लाइन्स से अरविन्द कर्नौजिया को झूंसी के चमनगंज चौकी प्रभारी, पुलिस लाइन्स से उपनिरीक्षक कैलाश चन्द्र को चौकी प्रभारी डांडी थाना नवाबगंज, पुलिस



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी

लाइन्स से उपनिरीक्षक उमेश यादव को चौकी प्रभारी फूलमण्डी नैनी, उपनिरीक्षक निखिलेश कुमार तिवारी को एडीए चौकी प्रभारी थाना नैनी, पुलिस लाइन्स से उपनिरीक्षक सुशील कुमार को

कांशीराम चौकी प्रभारी थाना नैनी, वहां तैनात रहे सुशील कुमार दुबे को प्रभारी चौकी नैनी करवा, पुलिस लाइन्स से उपनिरीक्षक शेर सिंह यादव को करेली थाना, इसी तरह करेली में उपनिरीक्षक अजय कुमार गुप्ता को थाना लालापुर, कर्नलगंज में तैनात मनोज कुमार राय को सोरांव थाने, औद्योगिक थाने में तैनात उपनिरीक्षक चंचल कुमार यादव को चुनवा सेल, जार्जटाउन थाने से राजीस श्रीवास्तव को लीडर रोड चौकी प्रभारी थाना शाहगंज, करछना थाने से उपनिरीक्षक सुनील कुमा सिंह को चौकी प्रभारी रामगढ़ थाना कोरांव, एसओजी यमुनापार में रहे उपनिरीक्षक दिवाकर सिंह को चौकी प्रभारी रामपुर थाना औद्योगिक, नवाबगंज में रहे दीपक

कुमार सिंह को चौकी प्रभारी आनापुर थाना नवाबगंज, कर्नलगंज थाने में रहे उपनिरीक्षक महोष सिंह यादव को चौकी प्रभारी अक्षवट थाना दारागंज, कौंधियारा थाने में तैनात उपनिरीक्षक सुभाष कुमार गौतम को मेहदौरी चौकी प्रभारी, हटिया चौकी प्रभारी विकास कुमार सिंह का मालवीय नगर मुद्देगंज, चौकी प्रभारी टीपी नगर रहे उपनिरीक्षक केशव राम को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना थरवाई, सोरांव थाने में तैनात उपनिरीक्षक को राकेश सिंह वरिष्ठ उपनिरीक्षक हण्डिया, लीडर रोड चौकी प्रभारी दुर्गा प्रसाद गुप्ता को वरिष्ठ उपनिरीक्षक मेजा और मुद्देगंज थाने में तैनात रहे उपनिरीक्षक तेज बहादुर सिंह को एसएसपी वाचक की जिम्मेदारी दी है।

जेल लोक अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सात मुकदमों का निस्तारण

प्रयागराज। जेल लोक अदालत का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को किया गया। जिसमें रेलवे लम्बिस्टेज्ट उस्त्व गौरव राज ने सात लम्बिस्ट मुकदमों का निस्तारण किया।

उक्त जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रमणि ने देते हुए बताया कि इसके साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जेल बन्दिओं को विधिक जानकारी से अवगत कराया गया तथा जेल में साफ-सफाई, मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग कराये जाने हेतु न्यायिक अधिकारीगण प्रत्युष आनन्द मिश्रा, मनाली चन्द्रा, अमित सिंह ने दिशा-निर्देश दिया। वीडियो

ई-लोक अदालत का आयोजन एक नवम्बर को
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया है कि उप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी एक नवम्बर को पारिवारिक वादों एवं मोटर एक्सीडेंट क्लेम वादों के निस्तारण हेतु ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। समस्त वादकारी एक नवम्बर को आयोजित ई-लोक अदालत में अपने वादों का नियम एवं निस्तारित कराकर ई-लोक अदालत को सफल बनायें।

कांफ्रेंसिंग के दौरान डिप्टी जेलर अभय शुक्ला केन्द्रीय कारागार नैनी की ओर से जेल बन्दिनों को उपस्थित कराया गया।

महाप्रबंधक ने रेलवे के कर्मचारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 'जन आंदोलन' की शपथ दिलाई

प्रयागराज। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2020 को एक टवीट के माध्यम से कोविड -19 पर एक 'जन आंदोलन' की शुरुआत की। जन आंदोलन एक कम लागत एवं उच्च तीव्रता वाला जागरूकता अभियान है, जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र के आमजन की भागीदारी से इसमें सभी मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुये जानकारी प्रसारित की जा रही है। इस अभियान में सावधानियों के साथ अनलाई यानी कोविड -19 के अनुरूप उचित व्यवहार पर बल दिया जा रहा है। इसके तहत तीन प्रमुख संदेशों मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन, हाथों के हाइजीन का ध्यान रखें को प्रचारित किया जा रहा है।

माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के सभी सदस्यों, महाप्रबंधकों, मण्डल रेल प्रबंधकों और रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और सार्वजनिक



वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रेल कर्मचारियों को शपथ दिलाते उमरे महाप्रबंधक

उपक्रमों आदि को 11:30 बजे जन आंदोलन की शपथ दिलाई। इसके उपरांत महाप्रबंधक उत्तर मध्य एवं उत्तर रेलवे राजीव चौधरी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जन आंदोलन की निम्नलिखित प्रतिज्ञा दिलाई।

“मैं संकल्प लेता / लेती हूँ कि मैं को विभाजित -19 के बारे में सतर्क रहूँगा / रहूँगी और मुझे और मेरे साथियों को भी इससे जुड़े खतरों के प्रति अगाह करूँगा / करूँगी। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियों

बरतने का वचन देता / देता हूँ। मैं को विभाजित से जुड़े आचार-व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का भी वचन देता / देता हूँ। मैं सदैव मास्क / फेस कवर पहनूँगा / पहनूँगी, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर मैं दूसरों से कम-से-कम 2 गज की दूरी बनाकर रहूँगा / रहूँगी। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊँगा / धोऊँगी। हम एक साथ मिलकर कोविड -19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेगें।”

उत्तर मध्य रेलवे कोविड -19 पर जन जागरूकता अभियान चलाने में अग्रणी रेलवे रहा है, और पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, डिजिटल डिस्प्ले, स्वचालित उद्घोषणा और सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रचार के माध्यम से कोविड के अनुरूप व्यवहार के सम्बंध में जन जागरूकता हेतु समग्र प्रयास कर रहा

है। इस महत्वपूर्ण अभियान के शुभारंभ के दौरान आज दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को उत्तर मध्य रेलवे में आयोजित प्रमुख मतिविधियों के अंतर्गत मुख्यालय, तीन मंडल कार्यालयों, स्टेशनों और अन्य स्थानों पर 22924 यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा जन आन्दोलन की शपथ ली गई; 09 कार्यालयों, 131 स्टेशनों और 02 ओरिजिनैटिंग विशेष ट्रेनों में पोस्टर / बैनर लगाये गये; स्वचालित उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से 76 स्टेशनों पर कोविड संबंधी व्यवहार विषयक जागरूकता जिंगल आदि के माध्यम से सभी रेलवे कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और यात्रियों के मध्य जनजागरूकता को प्रसारित किया।

जनजागरूकता संदेश को दूर-दूर तक फैलाने और जमीनी स्तर तक इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है,

जिसमें यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों आदि के लिए स्टेशनों एवं अन्य स्थानों पर नियमित रूप से प्रतिज्ञा का आयोजन शामिल है। स्टेशनों पर और ट्रेनों में पोस्टर, बैनर के अलावा डिजिटल डिस्प्ले के प्रावधान, कोविड -19 पर वीडियो क्लिप को भी दिखाया जाएगा। स्टेशनों और अन्य स्थानों पर स्वचालित उद्घोषणा प्रणाली का व्यापक उपयोग; नियमित प्रचार आदि के लिए सभी प्रकार की मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। उपरोक्त के अलावा, डिजिटल संपर्क रहित हस्ताक्षर अभियान और कोविड -19 के अनुरूप उचित व्यवहार प्रतिज्ञा कानन जैसे प्रावधान के अभिवन प्रयास प्रयागराज जंक्शन पर किए जाएंगे। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों और अन्य उद्योगकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर उत्तर मध्य रेलवे के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी इनको लगाया जाएगा।

एयर मार्शल ने वायुसेना दिवस पर दी श्रद्धांजलि

प्रयागराज। भारतीय वायुसेना की 88वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर एयर मार्शल राजेश कुमार एयर अफसर कमांडिंग-इन-चीफ मध्य वायु कमान ने मुख्यालय के युद्ध-स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर वायु योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। उक्त जानकारी विंग कमांडर एवं मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शैलेन्द्र पाण्डेय ने देते हुए बताया कि गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में वायु योद्धाओं एवं उनके परिजनों को संबोधित करते हुए एयर मार्शल राजेश कुमार एवीएसएम, वीएम, एडीसी एयर अफसर कमांडिंग-इन-चीफ मध्य वायु कमान ने विरोधियों द्वारा उत्पन्न प्रत्येक विघटनकारी परिस्थितियों से हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया तथा वायु योद्धाओं से अपील की कि सौंपे गये कार्य को अंजाम देने में अपने आपको गौरवशाली महसूस करें।



संबोधित करते एयर मार्शल

उन्होंने इस महामारी के समय में सभी वायु योद्धाओं, डीएससी कार्मिकों एवं

असैन्य कर्मचारियों की अच्छी सेहत की कामना की और उनको सलाह दी

कि वे कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में अत्यधिक सतर्कता का पालन करें।

तो क्या आनंद सेठ ही है ट्रिपल सी परीक्षा पास करवाने का मास्टरमाइंड

प्रयागराज। आखिरकार सालवर गैंग का सरगना कौन है ट्रिपल सी के सालवर गैंग का मास्टर माइंड, को एसटीएफ तलाश रही है। हालांकि इसका पदाफांश तो तब होगा जब आनंद सेठ की गिरफ्तारी होगी। आनंद सेठ की गिरफ्तारी से गिरोह में शामिल कुछ अन्य लोगों का भी सुराग मिल सकता है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कांसेप्ट (ट्रिपल सी) की परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को गलत ढंग से पास कराया गया है। इस बारे में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आनंद सेठ ही बताएगा वह फरार चल रहा है। एसटीएफ की टीम सहित पुलिस की टीमों उसको तलाश रही है। औद्योगिक थाने की पुलिस ने कई ठिकाने पर छापेमारी की, लेकिन गिरफ्त में नहीं आया है। अधिकारियों का कहना है कि सिल्वरों के साथ गिरफ्तार किए गए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर अशोक नौटियाल के कमरे से 150 अभ्यर्थियों की लिस्ट मिली थी। उसमें साठे परीक्षार्थियों का नाम, पता और रोलनंबर समेत अन्य जानकारी लिखी हुई थी। कई परीक्षार्थी दूसरे जिले के भी रहने वाले हैं। लिस्ट

की छानबीन के बाद जब अशोक से यह पूछा गया कि अब तक कितने परीक्षार्थियों को पास कराया गया तो उसने गोलमोल जवाब दिया। कड़ाई से पूछताछ पर कहा कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने उसे लिस्ट दी थी। उसी के आधार पर सिल्वरों की मदद से ऑनलाइन पत्रां हल करवाया जाना था। इस आधार पर अधिकारी यह मान रहे हैं कि 29 सितंबर से शुरू हुई परीक्षा के दौरान तमाम अभ्यर्थियों को पास करवाया गया होगा। मगर इसकी संख्या के बारे में अब डायरेक्टर आनंद सेठ ही बता सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि आनंद की गिरफ्तारी से गिरोह में शामिल कुछ अन्य लोगों का भी सुराग मिल सकता है। औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एसटीएफ ने छापा मारते हुए मंगलवार 11 सितंबर व मैनेजर समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। यहां राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से ट्रिपल सी की परीक्षा ऑनलाइन कराई जा रही थी, जिसमें पैसा लेकर अभ्यर्थियों का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था।

उप्र टीचर्स गेम्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी गठित

प्रयागराज। बच्चों व शिक्षकों के खेल एवं स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षा व खेल शिक्षकों द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश में गठित उत्तर प्रदेश टीचर्स गेम्स वेलफेयर एसोसिएशन की समस्त जनपद व ब्लाक स्तर में समितियों का गठन किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि एसोसिएशन बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालय के खेल व खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए बच्चों के खेल प्रशिक्षण से लेकर खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करा आगे निकालने का कार्य करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। प्रदेश स्तर पर दस सदस्यीय कार्यकारी समिति तथा अलग अलग खेलों के योग्य महिला व पुरुष प्रभारियों को प्रदेश भर में सम्बंधित खेलों में बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गयी है।

उत्तर प्रदेश टीचर्स गेम्स वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष डॉ.शशि सिंह (लखनऊ), सचिव आशुतोष सिंह (प्रयागराज),



उत्तर प्रदेश टीचर्स गेम्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी

कोषाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह पाल (कौशाम्बी), वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी सोनकर (प्रयागराज), उपाध्यक्ष रश्मि सिंह (श्रावस्ती), अरुण गोविंद सिंह (कौशाम्बी) व शेष नारायण मिश्रा (बाँदा), संयुक्त सचिव संदीप सिंह (अमेठी), परवेज अली (हापुड़) व संजय कुमार वर्मा (प्रयागराज) को बनाया गया है। वॉलीबाल का प्रदेश

सड़क पर फरटा भर रहे बाइक सवार 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरे

शंकरगढ़। मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार में फरटा भरना बाइक सवार दो युवकों को भारी पड़ गया। बारा थाना क्षेत्र के गन्ने चौकी के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइक सहित 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरे।



बाइक सहित गड्ढे में गिरा बाइकसवार

जानकारी के मुताबिक गुरुवार को खीरी थाना क्षेत्र के पिपारहटा निवासी सचिन कुमार पुत्र मुकेश निषाद और मेजा थाना क्षेत्र के बगहा निवासी हरिशंकर पुत्र सुरज मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे गन्ने चौकी के ढूँढी गाँव के पास दोनों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और जब तक दोनों हैंडल संभाल पाते। मोटरसाइकिल सहित दोनों युवक 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। इस हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस ने गन्ने पुलिस चौकी में दी। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार

यादव, सहायक पुलिस कर्मी अमित कुमार मिश्र के साथ मौके पर पहुंचे और

दोनों घायलों को बाहर निकाल कर निजी अस्पताल पहुंचाया।

अखण्ड भारत संदेश के लिए स्वामी श्री योगी सत्यम किशोरियोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान झूंसी, प्रयागराज 211019 से प्रकाशित हुए यमा प्रिंटिंग प्रेस 53/25/एए बेली रोड नया कटरा प्रयागराज से मुद्रित।

मुद्रक/प्रकाशक

स्वामी श्री योगी सत्यम

पी0आर0बी0 एफ्ट के अन्तर्गत

समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी। इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों से संबंधित विवादों का न्याय क्षेत्र प्रयागराज होगा। आरएनआई नं०: UPHIN2001/9025



प्रयागराज शुक्रवार, 9 अक्टूबर, 2020

क्रियायोग सन्देश

क्रियायोग : गुरुदेव की अद्भुत सहायता

परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा के अंश - अध्याय ३७

अमेरिका के लिये प्रस्थान करने के एक दिन पहले मैं श्रीयुक्तेश्वरजी की पावन उपस्थिति में बैठा था उन्होंने अपने ज्ञानयुक्त शान्त स्वर में मुझसे कहा : " भूल जाओ कि तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ था, परन्तु अमेरिकी लोगों के भी सारे ही तौर-तरीके मत अपना लेना। दोनों समाजों के केवल उत्तम गुणों को ही ग्रहण करना। तुम ईश्वर की संतान हो, अपने इस सच्चे स्वरूप को सदा याद रखना। पृथ्वी पर चारों ओर विभिन्न जाति-वंशों में बिखरे हुए अपने बन्धुओं के सर्वश्रेष्ठ गुणों को खोजो और उन्हें आत्मसात् करो। "फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया: " ईश्वर की खोज करने के लिये जो भी श्रद्धा के साथ तुम्हारे पास आयेंगे, तुम्हारे द्वारा उनकी सहायता होकर रहेगी। जब तुम उन पर दृष्टिपात करोगे, तब तुम्हारी आँखों से निःसृत होता आध्यात्मिक प्रवाह उनके मस्तिष्कों में प्रवेश करेगा और उनकी भौतिक प्रवृत्तियों और आदतों को परिवर्तित करके उन्हें और अधिक ईश्वराभिमुख कर देगा।" फिर मुस्कराते हुए वे बोले: "सच्चे जिज्ञासुओं को आकर्षित करने के मामले में तुम्हारी नियति बहुत अच्छी है। तुम जहाँ भी जाओगे, चाहे वह जंगल ही क्यों ना हो, तुम्हें सच्चे मित्र मिलते रहेंगे।"

श्रीयुक्तेश्वरजी के इन दोनों ही आशीर्वादों की पूर्ति भली भाँति हुई है। मैं अमेरिका अकेला ही आया जहाँ मेरा एक भी मित्र नहीं था, परन्तु यहाँ हजारों लोग मुझे मिले जो आत्मा की कालातीत शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिये तैयार बैठे थे।

विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका जाने वाले पहली यात्री जहाज 'द सिटी ऑफ स्पार्टा' पर सवार होकर मैंने अगस्त 1920 में भारत से प्रस्थान किया। पासपोर्ट प्राप्त करने में "लालफीताशाही" की अनेकानेक कठिनाइयों आयीं, जो लगभग चमत्कारी रूप से ही दूर हुई और तब कहीं जाकर मैं जहाज पर यात्रा के लिए टिकट पा सका। 2 महीनों की समुद्र-यात्रा के दौरान जहाज पर एक सहयात्री को पता चल गया कि मैं बॉस्टन सम्मेलन के लिये भारत का प्रतिनिधि बन कर जा रहा था।

मेरे नाम का विभिन्न उच्चारण करते हुए (आगे मुझे अमेरिकी लोगों द्वारा जिन अजीब-अजीब तरीकों से अपने नाम का उच्चारण सुनना था,

उनमें से यह केवल पहला था) उसने मुझसे कहा: "स्वामी योगानन्द, अगले गुरुवार की रात को हम यात्रियों के लिये एक व्याख्यान देकर कृपया हमें अनुग्रहित करें। 'जीवन का युद्ध और उसे कैसे लड़े' विषय पर व्याख्यान से हम सब को बड़ा लाभ होगा।"

अफसोस! बुधवार के आते ही मुझे पता चला कि पहले मुझे ही अपने जीवन का युद्ध लड़ना था। अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिये अपने विचारों को एक सूत्र में गूँथने का मैंने हर तरह से प्रयास कर लिया, परन्तु सब व्यर्थ! आखिर मैंने तैयारी करने का यह प्रयास ही छोड़ दिया। जीन-काठी देखते ही भड़क उठने वाले नये घोड़े की तरह मेरे विचार भी अंग्रेजी व्याख्यान के साथ कोई सहयोग करने के लिये तैयार नहीं थे। पर गुरुदेव के पिछले आश्वासनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए मैं गुरुवार को जहाज के सैलून में अपने श्रोताओं के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला; वहाँ उपस्थित लोगों के सामने मैं आवाक बनकर खड़ा रहा। मेरी सहनशीलता का यह युद्ध लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद श्रोताओं को मेरी परिस्थिति का आकलन हो गया और वे हँसने लगे।

उस क्षण की परिस्थिति मेरे लिये तो हँसने लायक नहीं थी; क्षुब्ध होकर मन ही मन मैं गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा। "तुम बोल सकते हो! बोलो!"। उनकी आवाज तत्क्षण मेरी चेतना में गूँजी। उसी के साथ मेरे विचारों ने तुरन्त ही अंग्रेजी भाषा के साथ दोस्ती कर ली। 45 मिनट तक व्याख्यान चलता रहा और अन्त तक श्रोतागण तन्मय होकर सुनने सुनते रहे। इस व्याख्यान के कारण अमेरिका में विभिन्न संस्थाओं के समक्ष बाद में व्याख्यान देने के लिये कई निमंत्रण मुझे उसी समय मिल गये। बाद में प्रयास करने पर भी उस व्याख्यान में मैंने जो कुछ कहा था उसमें से एक शब्द भी मुझे कभी याद नहीं आ सका। सावधानी-पूर्वक जब मैंने यात्रियों से पूछताछ की, तो अनेक लोगों से मुझे इतना ही पता



चला: "आपने शुद्ध और सही अंग्रेजी में अत्यंत प्रेरणास्पद व्याख्यान दिया।" यह आनन्ददायक उत्तर सुनकर मैंने समय पर सहायता करने के लिये विनम्रतापूर्वक अपने गुरुदेव का धन्यवाद किया और इसके साथ ही मुझे नए सिरे से फिर एक बार यह एहसास हो गया कि देश-काल की सीमाओं को ध्वस्त कर वे सदा ही मेरे साथ हैं।

KRIYAYOGA- GURU'S UNIQUE OMNIPRESENCE HELP

Excerpt from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda - Chapter 37

The eve of my departure for the United States found me in Sri Yukteswar's holy presence.

"Forget you were born a Hindu, and don't be an American. Take the best of them both," Master said in his calm way of wisdom. "Be your true self, a child of God. Seek and incorporate into your being the best qualities of all your brothers, scattered over the earth in various races."

Then he blessed me: "All those who come to you with faith, seeking God, will be helped. As you look at them, the spiritual current emanating from your eyes will enter into their brains and change their material habits, making them more God-conscious."

He went on, "Your lot to attract sincere souls is very good. Everywhere you go, even in a wilderness, you will find friends."

Both of his blessings have been amply demonstrated. I came alone to America, into a wilderness without a single friend, but there I found thousands ready to receive the time-tested soul-teachings.

I left India in August, 1920, on The City of Sparta, the first passenger boat sailing for America after the close of World War I. I had been able to book passage only after the removal, in ways fairly miraculous, of many "red-tape" difficulties concerned with the granting of my passport.

During the two-months' voyage a fellow passen-



ger found out that I was the Indian delegate to the Boston congress.

"Swami Yogananda," he said, with the first of many quaint pronunciations by which I was later to hear my name spoken by the Americans, "please favor the passengers with a lecture next Thursday night. I think we would all benefit by a talk on 'The Battle of Life and How to Fight It.'"

Alas! I had to fight the battle of my own life, I discovered on Wednesday. Desperately trying to organize my ideas into a lecture in English, I finally abandoned all preparations; my thoughts, like a wild colt eyeing a saddle, refused any cooperation with the laws of English grammar. Fully trusting in Master's past assurances, however, I appeared before my Thursday audience in the saloon of the steamer. No eloquence rose to my lips; speechlessly I stood before the assemblage. After an endurance contest lasting ten minutes, the audience realized my predicament and began to laugh.

The situation was not funny to me at the moment; indignantly I sent a silent prayer to Master.

"You can! Speak!" His voice sounded instantly within my consciousness.

My thoughts fell at once into a friendly relation with the English language. Forty-five minutes later the audience was still attentive. The talk won me a number of invitations to lecture later before various groups in America.

I never could remember, afterward, a word that I had spoken. By discreet inquiry I learned from a number of passengers: "You gave an inspiring lecture in stirring and correct English." At this delightful news I humbly thanked my guru for his timely help, realizing anew that he was ever with me, setting at naught all barriers of time and space.